न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 127/2020
3. उनवान : सरकार जरिये चन्दीराम जसवानी, प्रवर्तन निरीक्षक, आमेर

बनाम

1. मैसर्स चन्दाराम पुत्र श्री मंगलाराम, ड्राईवर वाहन टाटा 709 सं. आर जे–17–जी–7079 निवासी, टाटियावास, गुलियों की ढाणी, पंचायत रामपुरा, डाबडी, आमेर।
2. श्री सुखदेव कुमावत उचित मूल्य दुकानदार, देवगुढा, तह. आमेर।
3. श्री श्रवण कुमार यादव, उचित दुकानदार, दुर्गा का बास, सम्बद्ध जालसू पंचायत, तह. आमेर।
4. चौमू सहकारी क्रय विक्रय समिति लि. चौमू।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
स)श्री के.डी. शर्मा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी श्री चन्दीराम जसवानी, प्रवर्तन निरीक्षक, आमेर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 04.01.2011 को चैकपोस्ट हरमाडा पर वाहन टाटा 709 सं. र–जे–जी, 7079 की जांच करने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले गेंहू को चौमू सहकारी क्रय क्रय समिति से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की उचित मूल्य की दुकानों पर न ले जाकर जोडला पावर हाउस स्थित ोर मिल पर ब्लैक में बेचने की नियत ले जाने के कारण 58.39 क्विंटल गेहूं मय बारदाना 113 कट्टे एवं उक्त हन को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं ये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन या है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से क्रमशः अधिवक्ता श्री महेन्द्र शर्मा व श्री के.डी. शर्मा ने नांक 15.02.2011 को उपस्थिति दी। श्री गोपाल लाल के स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये रुपये 50,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 21.01.2011 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन देश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जवाब में अंकित किया है कि कम माल होने की वजह अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा स्वयं व अप्रार्थी संख्या 3 का माल किराये के ट्रक से अपनी जिम्मेदारी पर ले जाया या था। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में अंकित किया कि वह कन्साईनमेन्ट की प्रति लेने ट्रांसपोर्ट कम्पनी के र्यालय में जा रहा था ताकि वह समिति से किराया प्राप्त कर सके ना कि गेंहू की कालाबाजारी के उद्देश्य से। ार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में अंकित किया कि उक्त गेंहू को दुकान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी सहकारी मिति की थी। ना तो उक्त गेंहू थोक विक्रेता ने अप्रार्थी को सम्भलाया ना ही अप्रार्थी उक्त ट्रक के साथ था। पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार ार्थीयान को आवाज लगवाई गयी। न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक ुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर चते हैं कि अप्रार्थी संख्या 4 का यह कथन कि उक्त गेहूं अप्रार्थी संख्या 2 की जिम्मेदारी पर पूर्ण भुगतान प्राप्त ने के उपरान्त भेजे हैं एवं अप्रार्थी संख्या 2 का यह कथन कि उक्त गेहूं को दुकान तक पंहुचाने की जिम्मेदारी कारी समिति की है, उसे समिति ने गेंहू नहीं सम्भलाया और ना ही वह ट्रक के साथ था, में विरोधाभास है। ताछ में अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त जब्त गेंहू को अप्रार्थी संख्या 2 के कहने पर जोडला पावर हाउस स्थित फ्लोर र पर ले जाने की बात स्वीकार की है। साथ ही सहकारी समिति के कार्यकर्ता ने पूछताछ में बताया कि अप्रार्थी ख्या 2 को स्वयं की जिम्मेदारी पर उसके स्वयं के द्वारा लाये गये वाहन में लोड कराकर भेजा गया। समिति का न खराब होने के कारण डोर स्टेप डिलीवरी नहीं की जा सकी। माल रवानगी चालान बिल पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त सारे तथ्यों से दिनांक 04.01.2011 को जब्त सामान का अप्रार्थीगण द्वारा कालाबाजारी के देश्य से उचित मूल्य दुकान पर ले जाने के बजाय तथाकथित फ्लोर मिल पर बेचने की नियत से गाडी में वहन किये जाने की पुष्टि होती है। प्रकरण में जब्त सामग्री के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी वैध बिल–परमिट के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहू की ाबाजारी के उद्देश्य से अवैध परिवहन व भण्डारण किया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में जब्त 58.39 क्विंटल गेहूं मय बारदाना 113 कट्टे व उसके अवैध परिवहन में ली जा रही गाडी टाटा 709 सं. आर–जे–जी, 7079 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी ुए ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर ा रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)